संख्या. एस-18017/14/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

एसबीएम-॥

12वॉ तल, पर्यावरण भवन,
लोदी रोड, सीजीओ कॉम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 12 फरवरी, 2015

सेवा में,

ग्रामीण स्वच्छता के लिए कार्यरत सभी स्टेकहोल्डर

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लोगो एवं टैगलाईन के प्रयोग के बारे में।

दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री ने देश में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और सभी देशवासियों के लिए स्वच्छ भारत एवं शौचालयों के निर्माण हेतु देशवासियों में जागरूकता पैदा की थी। तदनुसार, इसे अमल में लाए जाने के लिए दो मिशनों की स्थापना की गई अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की देखभाल करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की देखभाल करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)। इस संबंध में सभी स्टेकहोल्डरों/नागरिकों के प्रयास और समर्थन अत्यधिक रूप से सराहना और प्रशंसा के योग्य हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जो स्टेकहोल्डर/नागरिक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, वे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लोगो और टैगलाईन का प्रयोग कर सकते हैं।

भवदीया,

(संध्या सिंह)
संयुक्त निदेशक (आईईसी)

निदेशक, एनआईसी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय।
पर्यावरण भवन-को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस पत्र को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।